न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 03/2007

प्रार्थी

सरकार जरिए जिला रसद अधिकारी सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री बाबूलाल पुत्र श्री लुम्बाजी जाति गरासिया निवासी टांकिया तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 4 पी.डी.आर. एक्ट

उपस्थिति :–

1. श्री जिला रसद अधिकारी सिरोही।

:: निर्णय ::

दिनांक 09.04.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी जिला रसद अधिकारी सिरोही की ओर से अप्रार्थी के विरूद्ध S.G.R.Y.(S.C.) तथा अनुग्रह सहायता में 6052.80 क्विंटल गेहूं एवं S.G.R.Y.(Regular) के अन्तर्गत 350.30 क्विंटल गेहूं के गबन किया गया। इस प्रकार कुल 6403.10 क्विंटल गेहूं के गबन की राशि रूपये 29,45,426/– अक्षरे उन्तीस लाख पैंतालीस हजार चार सौ छब्बीस की वसूली हेतु पी.डी.आर. एक्ट के तहत यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी की ओर बावजूद नोटिस तामिली के किसी भी प्रकार की उपस्थिति नहीं दी।

प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थी श्री बाबूलाल पुत्र श्री लुम्बाजी जाति गरासिया निवासी टांकिया तहसील आबूरोड [illegible] उचित मूल्य विक्रेता टांकिया के रूप में नियुक्त किया था। [illegible] में अभाव की स्थिति के दौरान जिले में खोले गए अकाल राहत कार्यों पर नि[illegible] श्रमिकों को मजदूरी का आंशिक भुगतान गेहूं के रूप में किया जाने तथा अनुग्रह सहायता एवं S.G.R.Y.(Regular) के अन्तर्गत मजदूरी का आंशिक भुगतान गेहूं [illegible] रूप में किया जाने हेतु [illegible] रसद कार्यालय के अधिनस्थ प्राधिकार पत्र के तहत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:16:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

उचित मूल्य विक्रेता केशरपुरा के रूप में अप्रार्थी की नियुक्ति होने से थोक–विक्रेता के माध्यम से गेहूं का आवंटन किया जाता था। जिसमें अप्रार्थी द्वारा जिला रसद कार्यालय के प्राधिकार की शर्तों का उल्लघंन करते हुए उक्त योजनाओं में से S.G.R.Y.(S.C.) तथा अनुग्रह सहायता में 6052.80 क्विंटल गेहूं एवं S.G.R.Y.(Regular) के अन्तर्गत 350.30 क्विंटल गेहूं के गबन किया गया। इस प्रकार कुल 6403.10 क्विंटल गेहूं का गबन किया है जिसकी प्रवर्तन निरीक्षक, पंचायत समिति, आबूरोड ने पुलिस थाना रोहिडा तहसील पिण्डवाडा में एफ.आई.आर. संख्या 13/2004 दिनांक 23.01.2004 को दर्ज करवाई गई एवं गबन राशि की वसूली हेतु यह प्रकरण इस न्यायालय में पी.डी.आर. एक्ट की धारा 4 के तहत पेश किया है।

अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिली के अनुपस्थित। अप्रार्थी को पूर्व में कई मौके दिए जा चुके है। अतः उनका जवाब देने का अवसर बन्द किया जाता है।

प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अप्रार्थी श्री बाबूलाल पुत्र श्री लुम्बाजी जाति गरासिया निवासी टांकिया तहसील आबूरोड को अकाल राहत संवत 2059 में अभाव की स्थिति के दौरान जिले में खोले गए अकाल राहत कार्यों पर नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का आंशिक भुगतान गेहूं के रूप में किया जाने तथा अनुग्रह सहायता एवं S.G.R.Y.(Regular) के अन्तर्गत मजदूरी का आंशिक भुगतान गेहूं के रूप में किया जाने हेतु जिला रसद कार्यालय के अधिनस्थ प्राधिकार पत्र के तहत उचित मूल्य विक्रेता टांकिया के रूप में अप्रार्थी की नियुक्ति होने से थोक–विक्रेता के माध्यम से गेहूं का आवंटन किया जाता था। जिसमें अप्रार्थी द्वारा जिला रसद कार्यालय के प्राधिकार की शर्तों का उल्लघंन करते हुए उक्त योजनाओं में से S.G.R.Y.(S.C.) तथा अनुग्रह सहायता में 6052.80 क्विंटल गेहूं एवं S.G.R.Y.(Regular) के अन्तर्गत 350.30 क्विंटल गेहूं के गबन किया गया। इस प्रकार कुल 6403.10 क्विंटल गेहूं का गबन किया है, जिसकी प्रवर्तन निरीक्षक, पंचायत समिति, आबूरोड ने पुलिस थाना रोहिडा तहसील पिण्डवाडा में एफ.आई.आर. संख्या 13/2004 दिनांक 23.01.2004 को दर्ज करवाई गई। अतः ऐसी स्थिति में पी.डी.आर. एक्ट की धारा 4 के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए जाते है। साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि से मूल राशि पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल करने के आदेश दिए जाते है। प्रमाण पत्र वास्ते वसूली की कार्यवाई हेतु प्रभारी अधिकारी जिला राजस्व लेखा शाखा को भेजा जावे एवं प्रति प्रभारी अधिकारी सहायता शाखा एव जिला रसद अधिकारी सिरोही को आवश्यक कार्यवाई हेतु भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:16:25 IST
Reason: SelfAttested

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner